



प्रेस विज्ञप्ति



दिनांक:- 25.02.2022

श्रीमान नवज्योति गोगोई पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार, श्री विनीत कुमार बंसल पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर के सुपरविजन में श्री चैनसिंह महेचा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर, श्री रविन्द्र कुमार बोथरा सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पश्चिम व श्री नरेन्द्र कुमार ,सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पूर्व के नेतृत्व में शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं को सुरक्षित सुविधाजनक सुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध करवाने की दृष्टि से बालवाहिनी योजना के अन्तर्गत आने वाले वाहनों हेतु शर्तों, कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 18.02.2022 से 25.02.2022 तक यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा बालवाहिनीयों की दी गई गाईडलाईन के अनुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के क्षेत्राधिकार में विशेष चैकिंग अभियान चलाकर बालवाहिनी चालकों परिचालकों एवं स्कूल के छात्र-छात्राओं को बालवाहिनी गाईडलाईन के सम्बन्ध में समझाईश की गई तथा गाईडलाईन का चालकों द्वारा उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कुल 309 कार्यवाही की गई।

ओर से

(चैनसिंह महेचा)

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
यातायात, जोधपुर



